राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	307/2020 कानाराम / मालूराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/3/21	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो. संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादी/अपीलांट प्रस्तुत किया गया, जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण/अपीलांट को प्रतिबंधित फरमाये जाने का अनुतोष चाहा गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो. की एकतरफा में सुनवाई की जाकर अपने आदेश दिनांक 04/11/2019 के माध्यम से अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को प्रतिबंधित फरमा दिया गया। जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। अप्रार्थीगण/रेस्पो. के बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा में बहस समायत की गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुये मुख्य रूप से निवेदन किया कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बगैर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय सुनवाई की जाकर अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अपीलार्थी को विधिविरुद्ध प्रतिबंधित गलत रूप से फरमा दिया गया एवं उक्त एकपक्षीय आदेश को निरन्तर विधि विपरीत तरीके से कायम रखा जा रहा है जबकि व्यवहार प्रक्रिया संहिता केआदेश 39 नियम 3 (क) की पालना में अधीनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि वे 30 दिवस में अपीलार्थी को सुचना/सुनवाई का अवसर देकर गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण करते। अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस में आगे निवेदन किया कि उक्त एकपक्षीय आदेश की जानकारी अपीलार्थी को होते ही उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सपठित धारा 151 सी पी सी प्रस्तुत कर उन्हें सुने जाने का निवेदन किया गया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर तत्तपश्चात भी पूर्व में पारित एकपक्षीय आदेश को निरन्तर कायम रखा जा रहा है। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध एवं मनमाने ढंग से पारित जो आदेश जैर अपील	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कानाराम / लालूराम

तारीख हुक्म	307/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पारित किया गया है एवं कानून विरुद्ध तरीके से उसे जो यथावत कायम रखा जा रहा है को निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 1 की एकपक्षीय सुनवाई कर अपने आदेश जैर अपील दिनांक 04/11/2019 के माध्यम से अपीलार्थी को आगामी तारीख पेशी दिनांक 26/11/2019 तक के लिये प्रतिबंधित किया जाकर नोटिस जारी करने के आदेश प्रदान किये गये तत्तपश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही नही की जाकर मात्र निरन्तर आगामी पेशी तब्दील की जाती रही तत्तपश्चात दिनांक 24/08/2020 को प्रतिवादी संख्या 1/अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चाराजाही की गयी किन्तु तत्तपश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 (क़) के अनुशरण में कोई कार्यवाही नही की जाकर मात्र आगामी तारीख पेशीय तब्दील की जाती रही। जो न्याय सगत प्रतीत नही होता है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्रकरण में अपनाई गयी प्रक्रिया से अपीलार्थी को सुनवाई के क़ानूनी हक़ से वंचित रखा जाना प्रतीत होता है एवं ऐसे आदेश को चुनोती दिये जाने में मियाद का बिन्दु बाधा उत्पन्न नही करता है अत: प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर अपीलार्थी को भी सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 (क़) की पालना करते हुये 30 दिवस में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर निस्तारण करे। तब तक आदेश जैर अपील दिनांक 04/11/2019 की क्रियान्विति स्थगित रखी जाती है एवं इस हद तक अपील स्वीकार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	307/2020 कानाराम / कालूराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 3	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 05/03/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)